सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2019 (प्रा.प. विविध)
RCMS NO: 2019/00009

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता भगवानलाल जी ब्राह्मण, निवासी मेहरो का गुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्रीमती गोरीदेवी पत्नि देवराम जी जोशी, निवासी धावडी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री लोकेश गहलोत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.

* निर्णय *

दिनांक 31-07-2019

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मामले में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 17/2018 विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित कर विपक्षीगण के खातेदारी भूमि का आवंटन खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर विधि विरूद्ध निर्णित कराया गया है। प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 317 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजकीय प्रथमिक विद्यालय, मेहरो का गुडा के नाम आवंटित होना बताकर आवंटन खारिज कराया है, जबकि उक्त आराजी संख्या 317 के नये आराजी नम्बर 2722/785 एवं 2740 बने है एवं विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी के आराजी नम्बर 2426/806 एवं विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी के आराजी संख्या 2785/806 बने है एवं इसके किसी भी भाग का विपक्षीगण को आवंटन नही हुआ है। विपक्षीगण के रेकर्डेड खातेदार हो जाने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा कोई घोषणा का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध पेश नही किया है। मामले में विपक्षीगण द्वारा कोई मिसरिप्रजेन्टेशन अथवा फ्रॉर्ड तरीके से आवंटन नही कराया गया है। अतः विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 17/2018 में पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत कराने का अवसर दिया गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा पृथक से जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस हेतु अनुरोध करने पर प्रकरण में उभय पक्ष में अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

बहस प्रारम्भ करते हुये विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण संख्या 17/2018 में पारित एक तरफा निर्णय निरस्त करने की मांग की। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस करने के दोरान निवेदन किया कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण संख्या 13/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रथम अपील माननीय भू–प्रबंध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा प्रकरण संख्या 49/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया। उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण संख्या 17/2018 दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 08.03.2019 को श्री महेन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेकिंग दी गयी, किन्तु इसके उपरान्त उनके आगामी पेशीयों पर निरन्तर अनुपस्थित रहने पर राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी जाकर माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिये गये प्रेक्षणों के क्रम में तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। जब रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अण्डर टेंकिंग पेश कर दी गयी थी, तो ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्पष्ट है कि मामले की जानकारी पूर्ण रूप से विपक्षीगण को थी, पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण एक तरफा बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है। साथ ही मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में विपक्षीगण द्वारा अपील की जा चुकी है जिसका अपील संख्या 8/2019 हो न्यायालय द्वारा पत्रावली तलबी पत्र भी इस न्यायालय को जारी किया जा चुका है।

अतः विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
उदयपुर